mindplan.in®

BPSC Mains

Smart Book Notes

Mains GS 2 - हिंदी

- Syllabus Wise
- Topic Wise
- Toppers strategy QA pattern Notes
- Every Topic covered with **as many QA pattern Notes possible**

Sample

bpsc books **mindplan.in**

mindplan.in®

smart study + **sooper-quick** revision

A Trademarked and Registered company.

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus

bpsc books **mindplan.in**

Save trees. Save life.

sample

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus

bpsc books **mindplan.in**

PREFACE

Dear students,

I am delighted to present this book to Administrative Services students and am grateful for the tremendous efforts of the experts to make this book authentic, relevant and updated. My heartful of gratitude for the efforts of the technical team to make this book useful and easy.

In the end, I am open to the creative suggestions and ideas from all the hard-working students. If there is any scope of any kind of issue or mistake in this book or in its delivery, then I stand with the students.

Wishing all the students a bright future!

Publisher
Mindplan.in
support@mindplan.in

Sample

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus

bpsc books **mindplan.in**

Topic: भारतीय राज्य व्यवस्था-पंचायती राज्य

Below is a screenshot of GS2 syllabus from the **Official BPSC Mains syllabus**

पत्र– 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की (तथा बिहार की) राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थ व्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएँगे, जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करे। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा।

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus only.

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus

bpsc books mindplan.in

4. भारत में पंचायती राज्य के उद्देश्य और उनकी विशेषताओं का उल्लेख|

i. 73वें और 74 वें संविधान संशोधनों में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकरण ने जीवन को प्रेरित कर दिया है| आलोचनात्मक विवेचना कीजिए|

Note:

This is for sample purposes only. More details are available in Mindplan.in BPSC Mains Notes on this topic.

विश्लेषण:

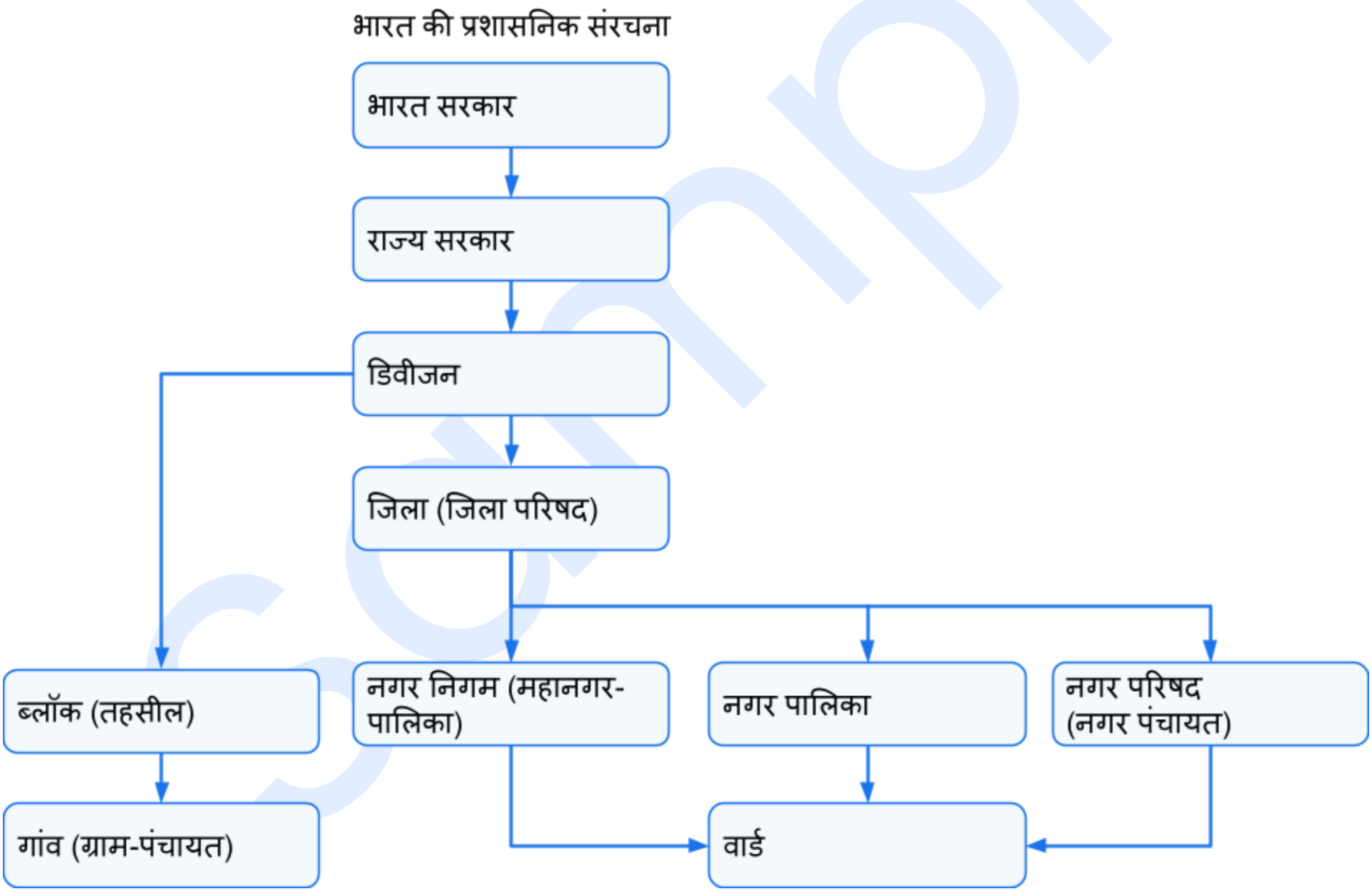

bpsc books mindplan.in

भारत में पंचायती राज व्यवस्था

पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी ने भी पंचायतों और ग्राम गणराज्यों की वकालत की थी। 73 और 74 संशोधन ने भारत सरकार और जनता के बीच दूरी को कम करने का काम किया है| इस संशोधन ने जनता को सरकार के करीब लाया है, जो उसकी(जनता की) जीवनशैली को सुधारने में काफी हद तक सफल भी हुई है| स्वतंत्रता के बाद से, समय– समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए गए और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इसको अंतिम रूप प्राप्त हुआ था.

अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज की तीन– स्तरीय व्यवस्था प्रदान करना है, इसमें शामिल हैं–

bpsc books **mindplan.in**

भारत में पंचायती राज संस्थाओं का कालक्रम:

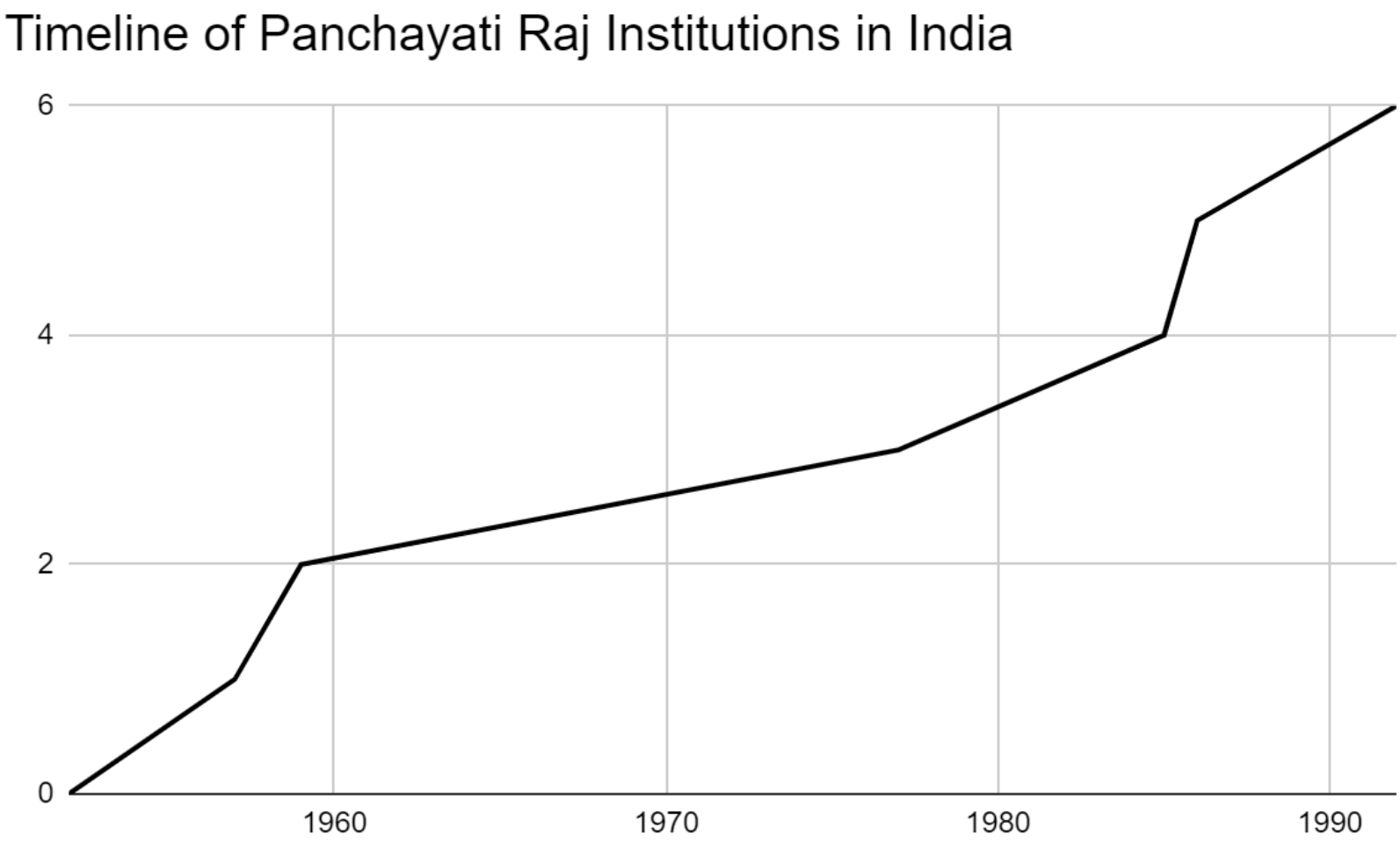

bpsc books **mindplan.in**

Timeline of Panchayati Raj

1952: सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।

1957: बलवंत राय मेहता समिति ने नियमित आधार पर स्थानीय स्तर पर **त्रिस्तरीय पंचायती राज** प्रणाली की सिफारिश की।

1959: राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया।

1977: अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में दो स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। लेकिन, इसे लागू नहीं किया जा सका।

1985: जीवीके राव समिति ने जिला परिषदों को मजबूत करने की सिफारिश की।

1986: एलएम सिंघवी समिति ने ग्राम सभा को मजबूत करने, पंचायती राज
के नियमित चुनाव और उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

1992: 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1993 में पारित और कार्यान्वित किए गए।

1993: 73वें संविधान संशोधन के बाद पूर्व के पंचायत राज अधिनियमों को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राजधिनियम, 1993 बनाया गया।

2006: बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है.

bpsc books mindplan.in

73वें संशोधन अधिनियम की विशेषताएं

- ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वैसे काम कर सकती है जैसा कि राज्य विधान मंडल को कानून दिया जा सकता है।
- प्रावधानों के अनुरुप **ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों** पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा।
- एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन **बीस लाख से अधिक की आबादी** वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता।
- पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा, इसके लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, साध्य हो, और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो।
- राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर या जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं हैं वहां, जिला स्तर के पंचायतों में, पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण

अनुच्छेद 243 डी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में, सीटों का आरक्षण वहां की

bpsc books mindplan.in

आबादी के अनुपात में होगा। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के एक– तिहाई से कम नहीं होगी।

महिलाओं के लिए आरक्षण– अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक –तिहाई से कम सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए। इसे प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

अध्यक्षों के कार्यलयों में आरक्षण– गांव या किसी भी अन्य स्तर पर पंचायचों में अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य विधान–मंडल में, कानून के अनुसार ही होगा।

सदस्यों की अयोग्यता

किसी व्यक्ति को पंचायत की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाएगा, अगर उसे संबंधित राज्य का विधानमंडल अयोग्य कर देता है या चुनावी उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए कानून अयोग्य घोषित कर देता है; और अगर उसे इस प्रकार राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर अयोग्य घोषित किया गया हो तो।

पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां

राज्य विधानमंडलों के पास विधायी शक्तियां हैं जिनका उपयोग कर वे पंचायतों को स्व– शासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक

bpsc books mindplan.in

न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

कर लगाने और वित्तीय संसाधनों का अधिकार

एक राज्य, कानून द्वारा, पंचायत को कर लगाने और उचित करों, शुल्कों, टोल, फीस आदि को जमा करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न शुल्कों, करों आदि को पंचायत को आवंटित भी कर सकता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दी जा सकती है।

पंचायत वित्त आयोग

संविधान के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही (**73वां संशोधन अधिनियम, 1992**), पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और उस पर राज्यपाल को सिफारिशें भेजने के लिए, एक वित्त आयोग का गठन किया गया था।

भारत में शहरी स्थानीय निकाय

समकालीन समय में, जैसे की शहरीकरण हुआ है और वर्तमान में, इसका तेजी से विकास हो रहा है, शहरी शासन की आवश्यकता अनिवार्य है जो ब्रिटिश काल से धीरे– धीरे विकसित हो रहा है और स्वतंत्रता के बाद इसने आधुनिक आकार ले लिया है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के साथ, शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई।

bpsc books mindplan.in

74 वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- प्रत्येक राज्य में इनका गठन किया जाना चाहिए–

क) नगर पंचायत

ख) छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद

ग) बडे शहरी क्षेत्र के लिए नगरनिगम।

- नगरपालिका की सभी सीटों को वार्ड के रूप में जाने जाने वाले नगरपालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा।

- **राज्य का विधान**– मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष जानकारी या अनुभव वाले व्यक्तियों को; लोकसभा के सदस्यों और राज्य के विधान सभा के सदस्यों, राज्य के परिषद और विधानपरिषद के सदस्यों को नगरपालिका प्रतिनिधित्व प्रदान करता है; समितियों के अध्यक्ष

- **वार्ड समिति का गठन**

- प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों औऱ अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।

- **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं** के लिए कुल सीटों की एक– तिहाई से कम सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी।

- **राज्य, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को स्व– शासन** वाले संस्थानों के तौर पर काम करने में सक्षम बनने हेतु अनिवार्य शक्तियां और अधिकार दे सकता है।

bpsc books mindplan.in

- राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस को उचित तरीके से एकत्र करने को प्राधिकृत कर सकता है।
- प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और जिलों की नजरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को लागू किया जा सके और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार कर सके।
- **राज्य विधान– मंडल,** विधि द्वारा महानगर योजना समितियों के गठन के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार

- नगर निगम
- नगरपालिका
- अधिसूचित क्षेत्र समिति
- शहर क्षेत्र समिति (टाउन एरिया कमेटी)
- छावनी बोर्ड
- टाउशिप
- पोर्ट ट्रस्ट
- विशेष प्रयोजन एजेंसी

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत देश में लोकतंत्र की जडें मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही बङा कदम है. इस कदम से ऐसा लगता है कि देश के हर

bpsc books mindplan.in

गाँव/जिले का अपना एक मुख्यमंत्री है जो कि अपने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है.

बिहार पंचायत राजधिनियम :-

73वें संविधान संशोधन के बाद पूर्व के पंचायत राज अधिनियमों को निरस्त करते हुए बिहार पंचायत राजधिनियम, 1993 बनाया गया. इसमें 73 वें संविधान के सारे प्रावधान शामिल किये गये. इन प्रावधानों के अलावे, इस अधिनियम में नगर कचहरी की अवधारणा को शामिल किया गया. साथ ही आरक्षण में महिलाओं एंव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को तो आरक्षण दिया गया. साथ-साथ अति पिछडे वर्गों की जातियों के लिए भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया.

राज्य निर्वाचन आयोग से 2001 में पंचायत चुनाव कराने का बिहार सरकार ने अनुरोध किया. इस चुनाव में लगभग 1,37,000 पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए. बाद में नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को सभी स्तरों पर **50 फीसदी आरक्षण**, अत्यंत पिछडा वर्ग को सभी स्तरों पर **अधिकतम 20% का आरक्षण का प्रावधान** किया. इसके लिए पुराने अधिनियम को निरस्त करते हुए **बिहार पंचायत राज अध्यादेश 2006** बना. जिसे बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के रूप में लागू किया गया.

bpsc books mindplan.in

मुख्य पद और उनका काम:-

1. **मुखिया:** ग्राम पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि होता है. मुखिया ही प्रधान कार्यकर्त्ता है जो की ग्राम-सभा, ग्राम पंचायत सदस्यों एंव स्थायी समीतियों का नियन्त्रण करता है.

2. **वार्ड सदस्य:–** ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है, हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, जिसे वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य कहते हैं. मुखिया तक वार्ड की समस्या पहुंचाना इनका काम है.

3. **पंचायत समिति सदस्य:** प्रखंड क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायत के सभी प्रधान पंचायत समिति के सदस्य होते हैं. प्रखंड या उसके किसी भाग से संबंधित लोकसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य या उस ब्लॉक में रहने वाले राज्य सभा के सदस्य-सभी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है, जो ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कडी के रूप में स्थित है.

4. **जिला परिषद सदस्य :** जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष करते हैं। जिला स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के पदेन सचिव होते हैं। जिला परिषद राज की जिला स्तरीय संस्था है. एक ओर पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की श्रेष्ठ संस्था के रूप में कार्य करती है, तथा दूसरी ओर केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए सम्पर्क संस्था की भूमिका निभाती है.

bpsc books mindplan.in

5. **सरपंच**: एक सरपंच या ग्राम प्रधान या मुखिया एक निर्णय लेने वाला होता है, जिसे भारत में ग्राम सभा नामक स्थानीय स्वशासन के ग्राम-स्तरीय संवैधानिक निकाय द्वारा चुना जाता है। ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1947 में ही किया गया जिसे 1948 में लागू किया गया. पूरे देश में ग्राम पंचायत के साथ ग्राम कचहरी को जोड़कर पंचायत राज व्यवस्था जो खड़ा करने का काम केवल बिहार में ही किया गया. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है.

6. **पंच:** जिस तरह से मुखिया के नीचे वार्ड मेंबर होते हैं, उसी तरह हर वार्ड में पंच भी चुने जाते हैं जो सरपंच के साथ मिलकर न्याय की बागडोर संभालते हैं.

पंचायती राज की आवश्यकता एवं महत्व

पंचायतों का अस्तित्व यद्यपि प्राचीन काल में भी विद्यमान था, किन्तु समकालीन पंचायती राज संस्थाएं इस अर्थ में नयी हैं कि उन्हें काफी अधिक अधिकार, साधन एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होते हैं–

- भारत में स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्पराओं की स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है। इस व्यवस्था द्वारा देश की ग्रामीण जनता में लोकतान्त्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।

bpsc books mindplan.in

- पंचायतों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी स्थानीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के मध्य की कडी है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारम्भ हुए राष्ट्र-निर्माण के क्रिया-कलापों का चलना दुष्कर हो जाता है।

- पंचायती राज संस्थाएं विधायकों एवं मंत्रियों को राजनीती का प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान कर देश का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। इससे राजनीतिज्ञ ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं। इस प्रकार ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यों में जनता की अभिरुचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है।

- इन समस्याओं के माध्यम से जनता शासन के अत्यंत निकट पहुंच जाती है। इसके फलस्वरूप जनता एवं प्रशासन के मध्य परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, जो कि भारतीय उत्थान हेतु परमावश्यक है।

- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी-चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंच जाती है।

- पंचायतें लोकतंत्र की प्रयोगशाला हैं। ये नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं। साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं ।नागरिकों जीवन शैली को सुगठित कर दिया है ।

bpsc books mindplan.in

पंचायती राज की बाधाएं

पंचायती राज में विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास की गति में वृद्धि होगी, परियोजनाएं शीघ्र पूरी होगों और लोगों की विकास कार्यों में भाग लेने की चेतना में वृद्धि होगी, परन्तु इसके साथ ही कुछ संभावित त्रुटियां भी इस व्यवस्था के अंतर्गत निहित हैं, वे इस प्रकार हैं-

- पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, वह केंद्र को कमजोर बना सकती है। जाति, धर्म, वर्ण और लिंग की उपेक्षा करके यह समाज के सभी वगों की समानता के आधार पर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बाधा बन सकती है।

- इस व्यवस्था में राष्ट्र की एकता व अखंडता के लक्ष्य की उपलब्धि के मार्ग में भी बाधाएं आ सकती हैं। एक तो पहले से ही अलगाववादी और उग्रवादी शक्तियां देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, ऊपर से इन व्यवस्थाओं द्वारा भी इसका हनन किया जा रहा है। इन आतंकवादी शक्तियों ने राष्ट्रवाद के सूत्रों को भी कमजोर किया है।

- पूर्व में हम यह अनुभव कर चुके हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ स्थानीय संगठनों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में, इसे रोक पाना बहुत कठिन काम है। हमारे देश में मुद्रा व शक्ति का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे पंचायती राज की सफलता हेतु रोकना होगा।

- यह प्रक्रिया राज्य के अल्पसंख्यकों के संरक्षण में बाधा बन सकती है। यद्यपि, सभी राजनैतिक दल अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि कई ऐसे

bpsc books **mindplan.in**

अन्य कारण हैं, जो उन्हें ऐसा करने से वंचित कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, हम देखते हैं कि प्रशासन तंत्र निम्न स्तर के लोगों को दबाए रखने की क्षमता रखता है।

- इन व्यवस्थाओं के तहत अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना पाना बहुत मुश्किल काम होगा। दोनों के बीच कटु संबंधों के कारण कई स्थानों पर विकेंद्रित संस्थाओं के निष्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

इन आधारभूत समस्याओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमें प्रतिक्रियावादी तत्वों पर प्रतिबंध तथा समुचित वातावरण की संरचना हेतु कदम उठाना आवश्यक है। इन तथ्यों से सभी परिचित हैं कि चुनाव दो प्रकार के कार्य करते हैं- **एक** तो वे ग्रामीण जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यों की जानकारी देते हैं तथा **दूसरा** वे जनता के चुनाव में भाग लेने से होने वाले विकास के महत्व की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रत्येक पांच वर्ष के बाद चुनाव आयोजित करने की संवैधानिक दायित्व से भी पंचायती राज व्यवस्था की सफलता को बल मिलेगा। नियमित चुनाव भी नेताओं को अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायक होगा।

महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उनका मानना था कि,'जब पंचायत राज की स्थापना पूरी तरह से हो जाएगी, तो जनमत के जरिए वह सब किया जा सकेगा जो हिंसा के द्वारा कभी संभव नहीं है।

Note:

- Mindplan's "Mains notes" aim is to help students write HIGH-SCORING topper standard answers that are:
  - 🏆 To-the-point + strategized + diagrammatic
  - 🏆 Not an iota more than required

bpsc books **mindplan.in**

🏆 Not an iota less than required

- This is for sample purposes only. More details are available in Mindplan.in BPSC Mains Notes on this topic.

sample

bpsc books **mindplan.in**

Topic: विज्ञान और प्रोद्योगिकी–साइबर अपराध

Below is a screenshot of GS1 syllabus from the **Official BPSC Mains syllabus**

पत्र– 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की (तथा बिहार की) राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थ व्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएँगे, जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करे। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा।

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus

sample

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus

bpsc books mindplan.in

7. साइबर अपराध

ii. साइबर क्राइम से क्या समझते हैं? भारत सरकार के द्वारा इससे सुरक्षा हेतु किए गए उपाय का विवरण दीजिए|

Note:

This is for sample purposes only. More details are available in Mindplan.in BPSC Mains Notes on this topic.

इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग एवं कंपनियां दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जुङ पाते है। तकनीकी उन्नति ने मनुष्य को इंटरनेट पर हर रूप से निर्भर कर दिया है। इंटरनेट की आसान पहुंच ने हर चीज को सिर्फ एक जगह पर बैठकर ही उपलब्ध करा दिया है।

सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीद, जानकारी का आदान प्रदान, गेमिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन नौकरियां, जिस भी चीज के बारे में मनुष्य कल्पना कर सकता है, वह सभी बस एक क्लिक के द्वारा इंटरनेट से संभव है।

इंटरनेट आज के युग में हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के बढ़ते फायदों के साथ साइबर अपराध जैसा भयावह मुद्दा भी उभर कर आया है। साइबर अपराध अलग-अलग तरीकों से प्रतिबद्ध होते हैं। कुछ सालों पहले तक इन सब चीजों के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी। अन्य विदेशी देशों के साथ साथ भारत में भी साइबर अपराध की घटनाएं एवं दर दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

bpsc books mindplan.in

साइबर अपराध क्या है?

साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुख अपराध ऐसा अपराध है जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क शामिल होता है। साइबर अपराध में शामिल होता है आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क (इंटरनेट, मोबाइल फोन) का अवैध रूप से उपयोग ताकी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ अपराध किया जा सके, उनको प्रताड़ित किया जा सके, जानबूझकर उनको शारीरिक या मानसिक नुकसान एवं उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके।

साइबर क्राइम को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है:

- पहला, एक ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- दूसरा, एक अपराध जिसमें कंप्यूटर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

bpsc books mindplan.in

साइबर अपराध के प्रमुख प्रकार हैं-

अनधिकृत उपयोग और हैकिंग

अनधिकृत उपयोग एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर के मालिक की अनुमति के बिना कंप्यूटर का गैरकानूनी उपयोग किया जाता है। हैकिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें अवैध घुसपैठ से कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचता है।

bpsc books mindplan.in

वेब हाईजैकिंग

यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर अवैध नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार, वेबसाइट का स्वामी उस वेबसाइट पर नियंत्रण और महत्वपूर्ण जानकारी खो देता है।

पोर्नोग्राफ़ी

यह एक ऐसा अपराध है जिसमें यौन कृत्यों को ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है, लोगों का यौन उत्पीड़न किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है।

बाल यौन शोषण

बच्चों के साथ यौन शोषण के मुद्दे को इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। ऐसे आपराधिक मामलों में छोटे बच्चे आसान शिकार होते हैं। चूंकि घर में कंप्यूटर मौजूद हैं, इसलिए बच्चों की पहुंच इंटरनेट के लिए बहुत आसान हो गई है। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी आसानी से उपलब्ध है। अपराधी (पीडोफाइल) इन बच्चों से ऑनलाइन संपर्क करते हैं, बात करते हैं और दोस्ती बढ़ाते हैं, ताकि वे अपना आत्मविश्वास जीत सकें और उसके बाद उनका शोषण कर सकें।

साइबर स्टाकिंग

यह एक ऐसा अपराध है जिससे व्यक्ति को बार-बार प्रताड़ित किया जाता है। पीड़ित का पीछा किया जाता है, कॉल के जरिए परेशान किया जाता है, संपत्ति से छेड़छाड़ की जाती है। पीछा करने के बाद इसका मकसद पीड़ित को शारीरिक और मानसिक

bpsc books mindplan.in

रूप से नुकसान पहुंचाना होता है. पीछा करने वालों (अपराधियों) का उद्देश्य पीड़ित की संवेदनशील जानकारी एकत्र करना और भविष्य में उनका शोषण करना है।

सॉफ्टवेयर चोरी

यह एक ऐसा अपराध है जिसमें कॉपीराइट प्रोग्राम की अवैध कॉपी वितरित की जाती है। इसमें अपराध शामिल हैं, जैसे उल्लंघन के आगे झुकना, ट्रेडमार्क उल्लंघन, कंप्यूटर स्रोत कोड की चोरी आदि।

सलामी हमला

यह आर्थिक अपराध का एक तरीका है। ठग इतना छोटा है कि पकड़ना बहुत मुश्किल है, उदाहरण के लिए, अगर कोई बैंक कर्मचारी हर महीने हर खाताधारक के बैंक खाते से सिर्फ 5 रुपये निकालता है,अपराधी के पास महीने के अंत में एकत्र होने के लिए पर्याप्त राशि होगी, बिना खाताधारक को चोरी के बारे में पता चले।

सर्विस अटैक

यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें पीड़ित का नेटवर्क अनधिकृत ट्रैफिक और संदेशों से भरा होता है। यह सब जानबूझकर पीड़िता को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है।

वायरस अटैक

वायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संक्रमित करने और उनकी प्रतियों को अन्य प्रोग्रामों में फैलाने की क्षमता रखते हैं। ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर हैं जो स्वयं को किसी अन्य सॉफ़्टवेयर से जोड़ते हैं या कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं।

bpsc books mindplan.in

ट्रोजन हॉर्स, टाइम बम, लॉजिक बम, रैबिट आदि दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के उदाहरण हैं।

फ़िशिंग

यह एक ऐसा अपराध है जिसमें पीड़ित को अनधिकृत व्यक्तियों या फर्मों द्वारा ईमेल, कॉल या मैसेज किया जाता है, जो दावा करते हैं कि यह एक स्थापित उद्यम द्वारा भेजा गया है। अंततः वे पीड़ित से गोपनीय या व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं, और भविष्य में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।

साइबर अपराध की बढ़ती स्थिति

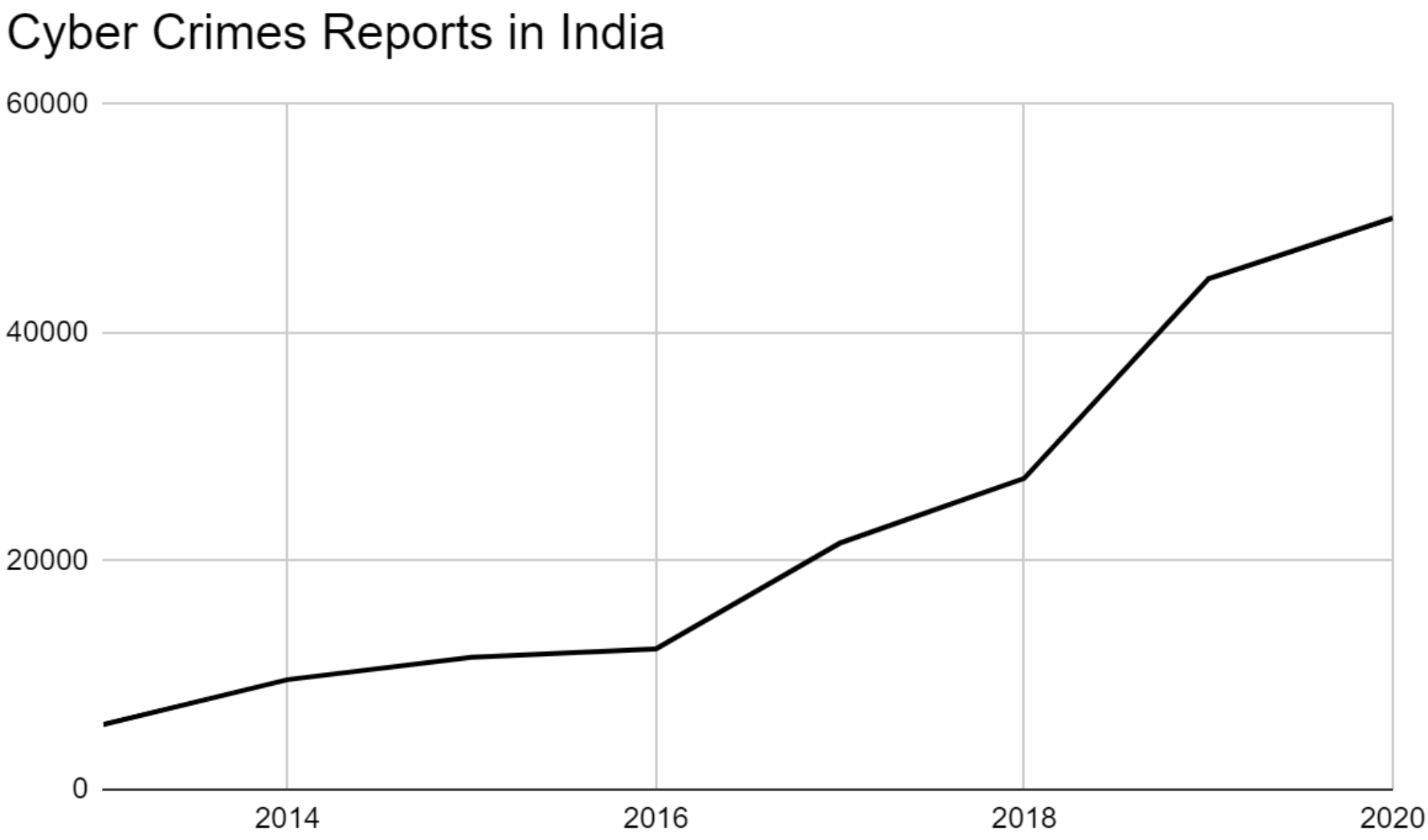

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक साल 2022 में साइबर अपराध के मामलो में 11 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्रालय ने गृह

bpsc books mindplan.in

समिति को इसकी जानकारी दी है। यह आंकड़ा देश के विभिन्न राज्यों से एकत्र किया गया है। साइबर क्राइम में गिरफ्तार ज्यादातर अपराधियों की उम्र 18 से 30 साल के बीच पाई गई।

साइबर अपराध को रोकने के उपाय

कंप्यूटर उपयोगकर्ता साइबर अपराध को रोकने के लिए विभिन्न तकनीकों को अपना सकते हैं –

- कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को हैकर्स से अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एक फ़ायरवॉल का उपयोग करना चाहिए।
- कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जैसे McAfee या Norton एंटी वायरस के रूप में स्थापित करने चाहिए।
- साइबर विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि यूजर्स को केवल सुरक्षित वेबसाइट्स पर ही खरीदारी करनी चाहिए। वे अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी संदिग्ध या अजनबियों को कभी न दे।
- उपयोगकर्ताओं को अपने खातों पर मजबूत पासवर्ड विकसित करने चाहिए, अथार्त अक्षरों और संख्याओं को पासवर्ड में शामिल करें, एवं लगातार पासवर्ड और लॉगिन विवरण का अद्यतन करना चाहिए।
- बच्चों पर नजर रखे और उनके द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल को सिमित रखे।
- फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब की सुरक्षा सेटिंग्स की जाँच करें और सावधान रहे।

bpsc books mindplan.in

- हैकिंग से बचने के लिए जानकारी सुरक्षित रखें। अधिकांश संवेदनशील फ़ाइलों या वित्तीय रिकॉर्ड के लिए एंक्रिप्शन का उपयोग करें, सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नियमित बैक-अप बनाएं, और इसे किसी अन्य स्थान पर संग्रहीत कर लें।
- उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का उपयोग करते समय सचेत रहना चाहिए। इन नेटवर्क पर वित्तीय लेनदेन के संचालन से बचें।
- उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर नाम, पता, फोन नंबर या वित्तीय जानकारी जैसे व्यक्तिगत जानकारी देते समय सावधान रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वेबसाइट्स सुरक्षित हैं।
- एक लिंक या अज्ञात मूल के फ़ाइल पर क्लिक करने से पहले सभी चीजों का बुद्धिमता से आंकलन करना चाहिए। इनबॉक्स में कोई भी ईमेल न खोलें। संदेश के स्रोत की जांच करें। यदि कोई संदेह हो, तो स्रोत सत्यापित करें। कभी उन ईमेल का जवाब न दें जो उनसे जानकारी सत्यापित करने या उपयोगकर्ता के पासवर्ड की पुष्टि करने के लिए कहें।

साइबर क्राइम से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपाय:

- भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था। इसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। इसके तहत दो साल कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

bpsc books mindplan.in

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके अनुसार सरकार ने अत्यधिक संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सूचना अवसंरचना केंद्र का गठन किया।
- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।
- सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना शुरू की
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई
- साइबर क्राइम की रोकथाम पर जागरूकता के लिए उठाए गए प्रमुख कदम
- रेडियो के माधयम से देशभर में साइबर सुरक्षा की जागरूकता को बढ़ाया गया.
- साइबर क्राइम की रोकथाम और साइबर सुरक्षा के बारे में सोशल मीडिया के 4 प्रमुख मीडिया मंचों पर वीडियो/ जीआईएफ के माध्यम से नियमित अंतराल पर प्रचार प्रसार शुरू किया गया.
    - Twitter - https://twitter.com/Cyberdost
    - Facebook - https://www.facebook.com/CyberDost/4C
    - Instagram - https://www.instagram.com/cyberdosti4c
    - Telegram - https://t.me/cyberdosti4c
- आई4सी (National cyber crime coordination centre) द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न माध्यमों से प्रचार के लिए MyGov से अनुबंध किया गया है.

bpsc books mindplan.in

- साइबर सुरक्षा विषय पर किशोर/छात्रों के लिए हैंडबुक प्रकाशित की गई.
- सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धतियां प्रकाशित की गई.
- विभिन्न राज्यों में पुलिस विभाग के सहयोग से सी-डैक के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया.
- आई4सी द्वारा निवारक उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, मंत्रालयों/विभागों के साथ 148 साइबर अपराध परामर्श साझा किए गए हैं.
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर चेतावनी / सलाह जारी की.
- दिल्ली मेट्रो से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930' का प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया है.
- इंटरनेट सुरक्षा, ईमेल, मोबाइल सुरक्षा आदि के संबंध में बुनियादी साइबर स्वच्छता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2022 में साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता क्या करें और क्या न करें" (मूल और उन्नत संस्करण) पर दो द्विभाषी मैनुअल जारी की गई.
- गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर स्वच्छता विषय पर 6 अक्टूबर, 2021 (बुधवार) से शुरुआत करते हुए हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 11 बजे 'साइबर जागरूकता दिवस' आयोजित करने और सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्थानीय भाषाओं में जन जागरूकता शुरू करने और इस संबंध में वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करने का अनुरोध किया है.

bpsc books mindplan.in

- शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि 6वीं से 12वीं कक्षा तक सभी स्ट्रीम्स के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता में पाठ्यक्रम शुरू किया जाए ताकि केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सभी सीबीएसई स्कूलों में सभी छात्रों को बुनियादी जानकारी दी जा सके.

- आईसी का त्रैमासिक न्यूज़लेटर (पहला और दूसरा संस्करण) जनवरी, 2022 में लॉन्च किया गया ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों और नीति निर्माताओं को साइबर अपराध के खतरे का मुकाबला करने के लिए जानकारी साझा की जा सके. इस न्यूजलेटर में नवीनतम साइबर अपराध प्रवृत्तियां, साइबर अपराध आंकडे, साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आदि शामिल हैं.

निष्कर्ष

संक्षेप में, साइबर अपराध एक गंभीर खतरे के रूप में विकसित हो रहा है। दुनिया भर की सरकारों, पुलिस विभागों और गुप्तचर इकाइयों ने साइबर अपराध के खिलाफ प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। सीमा पार साइबर खतरों पर अंकुश लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय पुलिस ने देश भर में विशेष साइबर सेल शुरू कर दी है और लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया है, ताकि वे ज्ञान हासिल करें और ऐसे अपराधो से खुद को बचाएं।

Note:

- Mindplan's "Mains notes" aim is to help students write HIGH-SCORING topper standard answers that are:
  - 🏆 To-the-point + strategized + diagrammatic
  - 🏆 Not an iota more than required

bpsc books **mindplan.in**

🏆 Not an iota less than required

- This is for sample purposes only. More details are available in Mindplan.in BPSC Mains Notes on this topic.

BPSC Mains Smart Notes [Hindi / English]

UPDATED TILL EXAM*

BPSC Mains

Smart Notes

eBook + *Updates provided in App [android]

- **70%+** Qs match [Evidence available]
- **GS1 + GS2** full syllabus notes
- **150+** Diagrammatic representations
- **Sharp & detailed** previous year analysis
- **Revision boosters**: Time, effort, money saving

mindplan.in®

🏆 **70%+ Questions Match** in past 5 exams.

🏆 Watch Question Match **Evidence Blog & Video** on www.mindplan.in.

🏆 **No marketing.** Direct Evidence.

- **Detailed Mains Notes** in a **POWERFUL Question Answer format. Not limited to a certain number of words** to cover all important details from the topic.
- **Any question that comes** from in and around any topic can easily be answered.
- **90%+ Toppers** have emphasized in their interviews to "**prepare BPSC Mains Notes in Question Answer Format.**"
- For most students it may take **upto 1 year** to prepare such Mains Notes.

Click here for details

Honest + Transparent

Questions Match Evidence

All topics in notes are as per the Official BPSC Mains Syllabus